

पारस-8
नियम 7(2) देखिये



**सोसाइटी-रजिस्ट्रीकरण
का
प्रमाण-पत्र**

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

पंजीकरण संख्या LKH/07897/2019-2020

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि रीता वर्मा एजुकेशनल सोसाइटी, मुकाम-बधमरा, पोस्ट-घरथनियाँ, बधमरा-हेदराबाद, तहसील-गोलागोकर्णनाथ, ब्लॉक-कुम्भी, जिला-लखीमपुर खीरी, खीरी, 262802 को आज उक्त प्रदेश में अपनी शक्ति के संपन्न में गद्यासरोधित सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन सम्बन्ध स्थापित रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

यह प्रमाण पत्र दिनांक 06/12/2024 तक विधिमान्य होगा।
आज दिनांक 06/12/2019 को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

**Digitally Signed By
(VINAY KUMAR SRIVASTAVA)**

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,

उत्तर प्रदेश।